न्यायालयः— श्री प्रियांशु पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास (म.प्र.)

(निर्णय तारीख 06.10.2025)

1- Registration No.	RCT/ 2972 / 2022
2- Filing No.	RCT/ 8412 / 2022
3- CNR:	MP4101-009670-2022
4- Filing Date:	19-12-2022

———————————————————————————————————

आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा, जिला देवास, म.प्र. के अपराध क्र. 389/2022 अपराध अंतर्गत धारा 294, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————————————

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा,
जिला देवास (म.प्र.)

.....**अभियोगी**

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री विजय पटेल, ए.डी.पी.ओ.

विरुद्ध

1. तेजकरण पिता शंकर मालवीय, उम्र 71 वर्ष,
2. कलाबाई पति तेजकरण मालवीय, उम्र 63 वर्ष,
3. महेन्द्र पिता तेजकरण मालवीय, उम्र 38 वर्ष,
   निवासीगण— नयापुरा, राजोदा
   जिला देवास (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह व्यास, अधिवक्ता

अपराध की तारीख	24.11.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	24.11.2022

आरोप पत्र की तारीख	19.12.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	14.09.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	22.02.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	22.09.2025
निर्णय की तारीख	06.10.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	———

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1. 2. 3.	तेजकरण कलाबाई महेन्द्र	——	——	294, 506(भाग–2) भा.दं.वि.	**दोषमुक्त**		——

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	विजय मालवीय	आहत साक्षी
अ.सा.2	रानी मालवीय	फरियादी/आहत साक्षी

अभियोजन व बचाव प्रदर्शों की सूची

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/अ.सा.2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.2/अ.सा.2	नक्शामौका

1– अभियुक्तगण पर भा.दं.वि. की धारा 294, 506 (भाग–2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का अभियोग है कि, अभियुक्तगण ने दिनांक 24.11.2022 को

लगभग 14:55 बजे स्थान फरियादिया के ससुर के घर के सामने, नयापुरा राजोदा, जिला देवास, जो कि लोकस्थान अथवा लोकस्थान के समीप है, प्रार्थीगण रानी व विजय को अश्लील शब्द उच्चारित कर प्रार्थीगण तथा अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित किया एवं प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2– अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 24.11.2022 के से तीन चार दिन पहले फरियादिया का पति जेल से छूट कर आया था। उसके पति महेन्द्र आया तो उसे देखकर उसे तथा विजय को मां बहन की नंगी उगाडी गालियां देने लगा। उसने उसे मना किया तो महेन्द्र के पिता तेजकरण व उसकी मां कलाबाई दोनों भी उसके साथ गाली गुफ्ता देने लग गए थे। उसकी सास कलाबाई बाली कि वह विजय के साथ रहती है, उसके उपर इलजाम लगाती है। घटना दिनांक को दोपहर पौने तीन बजे इसी बात को लेकर उसकी सास कलाबाई, ससुर तेजकरण व उसका पति महेन्द्र के द्वारा उसे मां बहन की अश्लील गालियां दी व उनको बोला कि उन्हें जान से खत्म कर देंगे। उसे व उसके साथ रहने वाले विजय मालवीय को जान से मारने की धमकी दिया है। फिर उसे 100 नंबर पर फोन किया था। जिससे वह एस.पी. साहब के आफिस में गयी थी। फरियादिया द्वारा दी गई उक्ताशय की सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा के अपराध क्रमांक 389/2022, अंतर्गत धारा 294, 506, 34 भा.द.वि. पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका एवं साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। अभियुक्तगण का धारा 41क दं.प्र.सं. का सूचना पत्र दिया एवं शेष आवश्यक संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर दिनांक

19.12.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्तगण को वर्णित आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अभिवाक् में अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा है। अभियुक्तगण ने परीक्षण अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

4– <u>प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:–</u>

1	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24.11.2022 को लगभग 14:55 बजे स्थान फरियादिया के ससुर के घर के सामने, नयापुरा राजोदा, जिला देवास, जो कि लोकस्थान अथवा लोकस्थान के समीप है, प्रार्थीगण रानी व विजय को अश्लील शब्द उच्चारित कर प्रार्थीगण तथा अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित किया ?
2	क्या अभियुक्तगण ने प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3	दोषसिद्धि व दंडादेश ?

–:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> :–

<u>(विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 व 2)</u>

5– सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि

उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों में तथ्यजन साक्ष्य एवं निष्कर्ष परस्पर अन्योन्याश्रित है।

6– आहत विजय मालवीय (अ.सा.1) के कथन हैं कि, वह अभियुक्तगण महेन्द्र, कलाबाई व तेजकरण को जानता है। अभियुक्तगण उसके पडोसी है। घ ाटना दिनांक 24.11.2022 की राजोदा की दिन के 3–3:30 बजे की है। महेन्द्र जेल से छूटकर आया था, तो उसे व रानी को गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी रिपोर्ट की थी। फिर उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट की। उसी दिन घटना दिनांक को 100 डायल कर पुलिस को बुलाया था।

7– साक्षी रानी मालवीय (अ.सा.2) के कथन है, कि वह अभियुक्तगण महेन्द्र, कलाबाई व तेजकरण को जानती है। अभियुक्त महेन्द्र उसका पति, कलाबाई उसकी सास व तेजकरण उसका ससुर है। घटना न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी ग्राम राजोदा नयापुरा की होकर दन के तीन बजे की है। उसने पहले महेन्द्र की रिपोर्ट की थी, जिस कारण से अभियुक्त महेन्द्र मां बहन की गालियां दे रहा था और जान से मारने के लिए घर पर आया था। उसके घर पर 100 डायल वाहन भी आया था। उसने घटना की रिपोर्ट (प्र.पी.1) की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके कथन लिए और घटनास्थल का नक्शामौका (प्र.पी.2) बनाया था। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.1) व नक्शामौका (प्र.पी.2) पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार कर उन्हें सम्यक रूप से प्रमाणित किया है।

8– अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में आहत विजय (अ.सा.1), साक्षी रानी (अ.सा.2) की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। धारा–294 भा.दं.सं. के अधीन

दंडनीय अपराध के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा उच्चारित शब्द तथा उनको सुनने वालों के मानसिक पटल पर प्रभाव प्रमाणित होना आवश्यक है। इस संबंध में आहत विजय (अ.सा.1) एवं साक्षी रानी (अ.सा.2) ने अभियुक्त द्वारा गाली–गलौच व मां बहन की गाली देने के करने के कथन किये हैं, परंतु साक्षीगण द्वारा व्यक्त नहीं किया गया कि, अभियुक्तगण द्वारा कौन सी गाली या शब्द कहे गए थे एवं उनको सुनने से मानसिक पटल पर क्या प्रभाव पड़ा। इस कारण गाली के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में उक्त शब्दों के अश्लील होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त उक्त शब्दों से आहत के मानसिक पटल पर क्या प्रभाव पडा, इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में उक्त शब्दों से क्षोभ कारित होना भी प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार धारा 294 भा.दं.सं. को गठित करने हेतु आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते।

9– अभियुक्तगण पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किए जाने का आरोप है। आहत विजय (अ.सा.1) ने उसे जान से मारने की धमकी देने के कथन किये है तथा रानी (अ.सा.2) ने भी अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने के लिए महेन्द्र के घर आने के कथन किए है। दोनों साक्षीगण द्वारा अभियुक्त महेन्द्र द्वारा ही धमकी देने के कथन किए है अभियुक्त तेजकरण व कलाबाई के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किए है। उक्त धमकी से उनके मानसिक पटल पर हुए प्रभाव के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किये है। यदि मान भी लिया जाए कि, इस प्रकार की धमकी दी गई तब भी ऐसी कोरी धमकी से जिसका कोई प्रभाव फरियादी के मन मस्तिष्क पर नहीं हुआ, धारा 506 (भाग–2) के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **शरद दबे व अन्य विरूद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एम.पी.एल.**

जे. 330 अवलोकनीय है। अतः धारा 506 (भाग–2) के अंतर्गत आरोप गठित करने हेतु आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते।

10– अतः उपरोक्त विवेचन, समग्र साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि, अभियुक्तगण द्वारा फरियादी विजय व रानी के साथ लोकस्थान अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया गया तथा फरियादी विजय व रानी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। **फलतः विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2 "प्रमाणित नहीं" पाये जाते हैं।**

(विचारणीय प्रश्न कमांक–3)

–:: दोषसिद्धि व दंडादेश ::–

11– उपरोक्त विवेचन व विचारणीय प्रश्नों पर प्राप्त निष्कर्ष अनुसार अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि, अभियुक्त ने दिनांक 24.11.2022 को लगभग 14:10 बजे स्थान फरियादिया के घर के सामने, नयापुरा राजोदा, जिला देवास, जो कि लोकस्थान अथवा लोकस्थान के समीप है, प्रार्थीगण रानी व विजय को अश्लील शब्द उच्चारित कर प्रार्थीगण तथा अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित किया एवं प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। परिणामस्वरूप अभियुक्त **तेजकरण, कलाबाई एवं महेन्द्र** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 294, 506 भाग–2** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

12– अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा–437(क) दं.प्र.सं. के तहत् प्रस्तुत मुचलके छः माह पश्चात् भारमुक्त समझे जाएँ।

13– अभियुक्तगण अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान निरोध में नहीं रहा है। इस संबध में प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं. पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(प्रियांशु पांडे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास, मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित।

PRIYANSHU PANDE
Digitally signed by PRIYANSHU PANDE
Date: 2025.10.06 18:09:29 +0530

(प्रियांशु पांडे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास, मध्यप्रदेश